संख्या:91/2020/2353 ई-2/तेरह-2020-01/2018

प्रेषक,

योगेश कुमार शुक्ला
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-**2** लखनऊ::दिनांक 31 अक्टूबर, 2020

विषय:-वर्ष 2020-21 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी.39/दस-185(2)/शीरा नीति/2020-21, दिनांक 23.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2019-20 में 39 चीनी मिलें बन्द तथा 119 चीनी मिलें कार्यरत रहीं हैं।

3. आबकारी राजस्व का लगभग 47 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए उत्पादन का 18 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था जिसे बाद में सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-60/2020/1444 ई-2/तेरह-2020-01/2018 दिनांक 09.07.2020 द्वारा धटाकर 17 प्रतिशत निर्धारित किया गया। शीरा वर्ष 2020-21 हेतु 533.50 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन अनुमानित है। शीरा वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर लगभग 10 लाख कुं. आरक्षित शीरा (सी हैवी) सम्भरण हेतु अवशेष रहना सम्भावित है। शीरा वर्ष 2020-21 हेतु उक्त के समायोजन के पश्चात् आरक्षित शीरे की आवश्यकता 96.77 लाख कुं. आंकलित होती है। अत: शीरा वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश में खपत होने वाली देशी मदिरा के लिए आरक्षण 18 प्रतिशत रखा गया है।

4. कुल शीरा उत्पादन में से अधिकांश हिस्सा निजी चीनी मिलों का होता है जिसमें कैप्टिव मिलें अधिक है तथा नई आसवनियों में भी कैप्टिव आसवनियां अधिक है व कई आसवनियों की क्षमता में वृद्धि हुयी है। इसलिए प्रदेश की अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समूह की चीनी मिलों में शीरे के कैप्टिव उपभोग के आधार पर देयता का लाभ दिये जाने से, जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशी मदिरा उपलब्ध कराने हेतु शीरे की उपलब्धता नही हो सकने के दृष्टिगत शीरा वर्ष 2019-20 में शीरे के कुल उत्पादन के आधार पर आरक्षित शीरे की देयता निर्धारित की गयी थी। शीरा वर्ष 2020-21 में भी शीरे के कुल उत्पादन के आधार पर आरक्षित शीरे की देयता निर्धारित की गयी है।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2020-21 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2020-21 के लिए शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

5.1 <u>शीरा वर्ष 2020-21 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरणः</u>-

5.1.1 प्रत्येक चीनी मिल/समूह द्वारा शीरा वर्ष 2020-21 में कुल पेरे जाने वाले गन्ने के 4.85 प्रतिशत की शीरे की अनुमानित रिकवरी के आधार पर उत्पादित सी हैवी शीरे की मात्रा अथवा कुल वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो, के 18 प्रतिशत अंश को आरक्षित शीरे के रूप में उत्पादित एवं सम्भरित कराना अनिवार्य होगा।

5.1.2 सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

5.1.3 (अ) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी मॉग गत माह की 7 वीं तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी व चीनी मिल द्वारा आसवनी की मॉग पर 10 वीं तिथि तक निर्णय लेना होगा तथा उनके द्वारा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) चीनी मिलें आरक्षित शीरे के विक्रय हेतु टेण्डर किये जाने वाले शीरे की मात्रा माह के प्रथम सप्ताह में घोषित करेंगी।

5.1.4 जिन चीनी मिल/समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2019-20 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टाक उपलब्ध है, वे चीनी मिलें/समूह शीरा वर्ष 2020-21 में प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5 (अ) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति शीरा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करके समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी शराब की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ब) पूर्वांचल में स्थित पेय आसवनियों द्वारा 25 से 30 प्रतिशत देशी शराब की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्वांचल की इन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आसवनियों को समूह की चीनी मिलों द्वारा पूर्वांचल स्थित कम से कम एक चीनी मिल से आरक्षित शीरे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 शीरा वर्ष 2019-20 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह जनवरी, 2021 तक शून्य करना होगा।

5.1.7 (अ) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(ब) आरक्षण का प्रतिशत घटाने की स्थिति में पुर्ननिर्धारित आरिक्षत मात्रा से अधिक सम्भरित की गयी आरक्षित शीरे की मात्रा, मूल निर्धारित आरक्षित शीरे की सीमा तक आगामी शीरा वर्ष में आरक्षित शीरा की देयता में समायोजित की जायेगी। शीरा वर्ष 2019-20 में आरक्षित शीरे का प्रतिशत घटाया गया है, अतः यह प्रावधान शीरा वर्ष 2019-20 में भी लागू होगा।

5.1.8 देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियाँ, तत्समय आसवनी में उपलब्ध आरक्षित शीरे के समायोजन के पश्चात ही आरक्षित शीरा आवंटन हेतु माँग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

5.2 <u>मदिरा के एम.जी.क्यू. की प्रतिमाह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आरक्षित शीरे की उपलब्धता बनाये रखने हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपातः-</u>

5.2.1 वर्ष 2019-20 का अवशेष आरक्षित शीरे की देयता को अग्रेनीत किया जायेगा। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास आना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2019-20 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की अवशेष देयता की अग्रेनीत मात्रा को अनारक्षित/स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2020-21 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2020-21 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध रखा जाय कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28.02.2021 को इस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2020-21 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2020-21 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.2.2 शीरा वर्ष 2020-21 में उपलब्ध सी हैवी शीरे की मात्रा के 18 प्रतिशत अंश को आरक्षित किया जाता है। तदनुरूप चीनी मिलों द्वारा आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात 1:4.55 का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.2.3 प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे का कम से कम 6 प्रतिशत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा किन्तु पेराई सत्र चालू रहने के दौरान (माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक) शीरे की ओवरफ्लो की स्थिति से बचने हेतु चीनी मिलों को सुविधा प्रदान करने के लिए शीरा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक इस शर्त में शिथिलता देने का अधिकार शीरा नियंत्रक को होगा कि माह जून, 2021 तथा माह अगस्त, 2021 तक कुल देयता का क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत सम्भरण सुनिश्चित करना होगा।

5.2.4 प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक ऑनलाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर अपलोड करेगी। इसकी सूचना पोर्टल द्वारा स्वचालित ई-मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा अनुभाग, मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5.2.5 यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई.एन.ए. मदिरा निर्माण के लिए प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई.एन.ए॰ ½Extra Neutral Alcohol½ प्राप्तकर्ता इकाई को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा को स्वतः प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में घट जाने तथा आपूर्तक इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में समायोजित किये जाने का सहमति पत्र ई.एन.ए. क्रय करते समय देंगे। समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा, आपूर्तक आसवनी को अथवा समूह द्वारा नामित समूह की अन्य आसवनी के लिए आरक्षित शीरे में समायोजित हो जायेगी तथा प्राप्तकर्ता ईकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जायेगी।

5.3 <u>अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे का निर्यात/आयातः</u>-

अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता हैः-

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.आई.बी.)	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव-संयोजक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश में शीरे की आवश्यकता के लिये पर्याप्त शीरा उपलब्ध होने पर ही शीरे के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। निर्यात हेतु पूर्व की भांति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2020-21 तक उत्तराखण्ड राज्य को शीरा/अल्कोहल आधारित रसायनिक इकाईयों को 15.00 लाख कुं. शीरे के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है।

शीरा नीति वर्ष 2020-21 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने हेतु शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात/निर्यात की अनुमति आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्यातक रजिस्टर्ड एवं एक्सपोर्ट लाइसेंसधारक हो तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल से आया हो।

5.4 <u>शीरे पर प्रशासनिक शुल्क</u>:-

विगत कई वर्षों से प्रशासनिक शुल्क की दर स्थिर रहने तथा पर्याप्त राजस्व अर्जन के दृष्टिगत प्रशासनिक शुल्क की दर में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाती है। शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2020-21 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिए रू.20/-प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू.30/- प्रति कुन्टल रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू.15/- प्रति कुन्टल रखने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू.30/- प्रति कुन्टल निर्धारित की जाती है।

5.5 <u>शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरण</u>:-

शीरा वर्ष 2020-21 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जाएगी। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

5.6 <u>खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रण</u>:-

खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2020-21 में खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा।

5.7 <u>शीरे के उठान पर नियंत्रण</u>:-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का उठान/सम्भरण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा आसवनियों में शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी/स्टाक की समस्त सूचनाओं की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से पूर्व की भाँति लागू रहेगी। इस हेतु विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी.एस.टी.एन. का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5.8 <u>रूग्ण चीनी मिलों/इकाईयों को छूट/रियायतः</u>-

रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहैबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। यह व्यवस्था शीरा वर्ष 2020-21 में इस शर्त के साथ की जा रही है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहैबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति/छूट/रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.9 <u>शीरे पर आधारित लघु इकाईयाँ जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन</u>:-

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन शीरा वर्ष 2020-21 में शीरा नियंत्रक के स्तर से किया जाएगा।

5.10 <u>शीरा नीति में व्यावहारिक परिवर्तन/परिमार्जन</u>:-

शीरा नीति में व्यावहारिक परिवर्तन/परिमार्जन के मामलों में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव पर मा. आबकारी मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

5.11 (अ) <u>बी-हैवी शीराः</u>-

शीरा वर्ष 2019-20 में प्रदेश में स्थित 26 चीनी मिलों द्वारा बी-हैवी शीरे का 148.39 लाख कुं. उत्पादन किया गया है तथा सी-हैवी व बी-हैवी शीरे को मिलाकर कुल 548.99 लाख कुं. उत्पादन हुआ है। इस प्रकार बी-हैवी शीरे का अंश 27 प्रतिशत है। आगामी शीरा वर्ष में कतिपय अन्य चीनी मिलों द्वारा बी-हैवी शीरे के उत्पादन किये जाने की सम्भावना है। बी-हैवी शीरा से 31 ए.एल. प्रति कुं. रिकवरी आगणित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगी। अत: मिलों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले बी-हैवी शीरा पर भी देशी शराब के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत लागू होगा तथा बी-हैवी शीरे पर सी-हैवी शीरे की अन्य सभी शर्तें लागू होगी। इस प्रकार यदि कोई चीनी मिल बी-हैवी शीरा तथा सी-हैवी शीरा का उत्पादन करती हैं तथा सी-हैवी शीरे से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो रहा हो तो देशी शराब के निर्माण के लिये आरक्षित शीरे की देयता समूह की अन्य चीनी मिलों से पूरा करेंगी। यदि देयता तब भी पूरी नहीं होती है तो उसे बी-हैवी शीरे से पूरा किया जायेगा।

बी-हैवी शीरे पर आरक्षण के निर्धारण हेतु बी-हैवी शीरा बनाने में पेरे गये गन्ने के 4.85 प्रतिशत शीरे की अनुमानित रिकवरी के आधार पर आगणित मात्रा पर 18 प्रतिशत की दर से देय होगा।

(ब) <u>केन जूस से एथनाल निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणन</u>:-

यदि किसी चीनी मिल द्वारा केन जूस से एथनाल का उत्पादन किया जाता है तो केन जूस के उत्पादन में उत्पादन हेतु पेरे गये गन्ने के 4.85 प्रतिशत शीरे की अनुमानित रिकवरी के आधार पर आगणित मात्रा पर 18 प्रतिशत की दर से आरक्षित शीरा अथवा समतुल्य ई.एन.ए. देय होगा।

प्रदेश में केन जूस से एथनाल निर्माण में निवेश प्रोत्साहन हेतु नई इकाईयों को उनके उत्पादन प्रारम्भ होने वाले शीरा वर्ष को सम्मिलित करते हुए तीन शीरा वर्ष के लिए आरक्षित शीरे की देयता से छूट होगी।

5.12 <u>बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण</u>:-

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों/आसवनी में संचित बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण हेतु शीरा नीति 2019-20 में अनुमोदित व्यवस्था यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 16.06.2020 में निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडरों एवं निर्यातकों को 500 कुन्तल तक बिलोग्रेड/जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए, पंजीकृत ट्रेडरों हेतु शीरा के परिवहन एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। यह व्यवस्था शीरा वर्ष 2020-21 में भी यथावत् लागू रहेगी।

5.13 <u>जले शीरे का निस्तारण</u>:-

प्रदेश की चीनी मिलों/आसवनियों में जले हुए शीरे के निस्तारण की व्यवस्था बिलोग्रेड शीरे की भांति लागू होगी। जले हुए शीरे को निर्धारित प्रशासनिक शुल्क का 50 प्रतिशत जमा कर प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आसवनी में प्रयोग कर सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.14 <u>शीरा नीति की वैधता अवधि</u>:-

शीरा नीति 2020-21 तब तक यथावत प्रभावी रहेगी जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.15 शीरे का परिवहन:-

शीरे के सदुपयोग तथा राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु जी.पी.एस. युक्त टैंकरों में ही शीरे का परिवहन किया जायेगा।

5.16 शीरे आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की उपभोग क्षमताः-

आबकारी अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 नवम्बर, 2000 के अन्तर्गत शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में 20,000 कुन्टल शीरा प्रति वर्ष की मांग वाली इकाईयों के मामलों में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उक्त सीमा को बढ़ाकर एक लाख कुन्टल प्रति वर्ष किया जाता है।

5.17 शीरे से सम्बन्धित मुकदमों के त्वारित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के सम्बन्ध में:-

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) की धारा-16 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन किये गये दण्डनीय अपराधों के लिए समझौते के रूप में रू.2,50,000/- से अनधिक धनराशि प्रशमन के रूप में स्वीकृत करने का प्राविधान है। समान प्रकरणों में दण्ड की एकरूपता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत प्रशमन योग्य अनियमितता की स्थिति में निम्नानुसार न्यूनतम् प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जाएगा:-

क्रमांक	अनियमितता का प्रकार	प्रथम बार (रू. में)	द्वितीय बार (रू. में)	तृतीय बार (रू. में)
1	2	3	4	5
1	शीरे का अतिशय मार्ग नयन छीजन 1% से अधिक (जहा दुर्घटना प्रमाणित हो)	25,000/-		
2	चीनी मिल में किसी वर्ष शीरे के संग्रहण में छीजन संग्रहीत शीरे की कुल मात्रा के 2% से अधिक होने पर:-	---		
	(क) वार्षिक शीरा उत्पादन 2 लाख कुं. तक	1,00,000/-		
	(ख) वार्षिक उत्पादन 2 लाख कुं. से अधिक 4 लाख कुं. तक	1,50,000/-		
	(ग) वार्षिक शीरा उत्पादन 4 लाख कुं. से अधिक 5 लाख कुं. तक	2,00,000/-		
	(घ) वार्षिक शीरा उत्पादन 5 लाख कुं. से अधिक।	2,50,000/-		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	चीनी मिल की शीरा संचय क्षमता में कमी होने के संबंध में	2,50,000/-		
4	कच्चा/पक्का पिट आच्छादित किये बिना शीरे का संचय	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
5	चीनी मिल के तौल कांटे/वे ब्रिज का सत्यापन न कराया जाना	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
6	चीनी मिलों में अनुरक्षित शीरे की गुणवत्ता में ह्रास होना रिसाव (Leakage) स्वदहन (Auto combustion) आदि	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
7	चीनी मिलों में शीरे के अभिलेखानुसार संचित मात्रा से अधिक शीरा पाये जाने पर	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
8	शीरे से संबंधित निर्धारित अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
9	चीनी मिल में गेजचार्ट का अनुमोदन न कराया जाना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
10	चीनी मिल द्वारा प्रेषित पाक्षिक तथा मासिक विवरण पत्रों का त्रुटिपूर्ण/समय से प्रेषित न किये जाने पर	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
11	शीरे से संबंधित निर्धारित अभिलेखों का अपूर्ण पाया जाना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
12	चीनी मिल में डिपराड्स का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
13	चीनी मिल में सैम्पलर का अनुरक्षण न किया जाना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
14	टैंको में संचित शीरे की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए रिसरकुलेशन पम्प एवं टैंको के चारो ओर पानी छिड़कने के लिए स्प्रेकोआइल का न लगाया जाना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
15	शीरा संचित टैंको में फ्लोट की व्यवस्था न होना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
16	शीरा परेषण के वाहनों में जी.पी.एस. का न लगा होना अथवा जी.पी.एस. खराब होना	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
17	अन्य कोई अनियमितता जो क्रमांक-1 से 16 तक अंकित न हो	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-

1. उपरोक्तानुसार समस्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में विनिश्चित प्रशमन धनराशियों को सम्बन्धित अनियमितताओं के सम्बन्ध में न्यूनतम् धनराशि माना जायेगा।
2. प्रशमन योग्य अनियमितताओं की उपरोक्त तालिका के क्रमांक-8 से 16 पर उल्लिखित अनियमितता के प्रकरणों को प्रशमित किये जाने तथा प्रशमन धनराशि स्वीकार किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने हेतु अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है।

5.18 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सातवां संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम-16(2) में निहित प्राविधानानुसार शीरे के सड़क मार्ग से परिवहन हेतु निर्धारित 45 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रति दिन 5,000/- का अर्थ दण्ड आरोपित होगा। इसमें अर्थदण्ड की अधिकतम् सीमा निर्धारित नहीं है जिससे कभी-कभी शीरे के मूल्य से अधिक अर्थदण्ड आरोपित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त अर्थदण्ड की अधिकतम् सीमा रूपये 1,00,000/- निर्धारित किया जाता है।

5.19 <u>चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्धः-</u>

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

(1) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भूजल/सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।

(2) चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(3) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।

(4) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

(5) सभी चीनी मिलों द्वारा **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों/उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(योगेश कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।